निर्णय व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 154/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

वैभव पुत्र बनवारी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर, राजस्थान ।

प्रार्थी

वनाम

1 श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर।

2 प्रशान्त पुत्र श्रवण लाल

3 प्रियांशु पुत्र मोरध्वज

4 पंकज पुत्र गिरीराज

5 चारू पुत्र जगदीश

6 प्रहलाद पुत्र श्याम लाल

7 वासुदेव पुत्र प्रहलाद

8 श्रवण लाल पुत्र प्रहलाद

9 गिरीराज पुत्र प्रहलाद

10 बनवारी पुत्र प्रहलाद

11 मोरध्वज पुत्र प्रहलाद

12 जगदीश पुत्र प्रहलाद

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

13 तहसीलदार फागी, जिला जयपुर।

14 उप पंजीयक माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

15 प्रतीक पुत्र श्रवण लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

16 प्रांजल शर्मा पुत्र मोरध्वज जाति ब्राह्मण निवासी गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 16/2021 व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2021 व उनवानी प्रतीक व अन्य बनाम प्रशान्त व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. सुरेश कुमार चाहर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3, 10 व 11 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 23.06.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 16/2021 व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2021 व उनवानी प्रतीक व अन्य बनाम प्रशान्त व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त

जिला कलक्टर
जयपुर

होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी फागी से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 10 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार चाहर ने वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्व एक दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उक्त उनवानी प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 21.10.2021 को अप्रार्थी संख्या 9 जो स्वयं सरपंच है, ने प्रार्थी को ग्राम में धमकी दी कि हमारी एस डी ओ साहब से बात हो चुकी है। अब हम तुम्हारे दावे को शीद्य ही खारिज करवा देंगे। क्योंकि हमारी राजनैतिक पहुंच ऊपर तक है । मैंने अपने धन बल एवं राजनैतिक पहुंच के कारण एस डी ओ साहब पर दबाव बना रखा है जिस कारण वो शीद्य ही प्रकरण का निस्तारण हमारे पक्ष में कर देंगे। अभी हाल ही में दिनांक 22.10.2021 को अप्रार्थी संख्या 9 ने पुनः प्रार्थी को धमकी दी कि अब जल्दी ही एस डी ओ साहब तुम्हारा दावा खारिज कर देंगे, मेरी उनसे बात हो चुकी है। तत्पश्चात प्रार्थी अपने मुकद्दमें की जानकारी करने व अपने अधिवक्ता से वार्तालाप करने दिनांक 22.10.2021 को न्यायालय में गया तो उसने अप्रार्थी संख्या 9 को एस॰डी॰ओ॰ साहब के चैम्बर में से आते देखा। प्रार्थी को चैम्बर के बाहर खडा देखकर अप्रार्थी संख्या 9 ने प्रार्थी को उसका दावा खारिज कराने की धमकी दी। जिस पर प्रार्थी ने उक्त घटना की एस॰डी॰ओ॰ साहब को जानकारी दी, तो एस॰डी॰ओ॰ साहब ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे ऊपर राजनैतिक दबाव है मैं, इसका शीद्य निस्तारण करूंगा । इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 9 की उक्त हरकतों को देखकर प्रार्थी आश्चर्य चकित हो गया कि ये कैसे हुआ ? जब अप्रार्थी संख्या 9 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है, तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है । इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2, 3, 10 व 11 के सुयोग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि इस प्रकरण को जयपुर स्थित अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को एस॰डी॰ओ॰ फागी से अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता भी प्रकरण का अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

8. उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 16/2021 व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2021 व उनवानी प्रतीक व अन्य बनाम प्रशान्त व अन्य को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 18.07.2022 को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी एवं न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/06/22

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर